



क्रमांक : 37

दिनांक: 08.02.2019

**सूचना**


महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोषण) अधिनियम 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण हेतु आन्तरिक परिवाद समिति का गठन दिनांक 05.12.2016 को किया गया और नवीनीकरण आज दिनांक 08.02.2019 को किया गया, जिसकी परिभाषा एवं सदस्य निम्नानुसार हैं -

- 1) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएँ करना ।
- 2) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई भाग या अनुरोध करना ।
- 3) लैंगिक आभास वाली दिमागिया करना ।
- 4) अश्लील साहित्य दिखाना ।
- 5) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना ।
- 6) लैंगिक व जातिगत भेदभाव करना ।

नोट :- यदि कोई व्यक्ति आपके साथ उपरोक्त में से किसी प्रकार का अपमान जनक आचरण करता है तो आप अपना शिकायत एवं निराकरण के लिए आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । आपकी शिकायत पूर्णतः गोपनीय रहेगी ।

**सेक्सुअल हैरैस्मेंट कमेटी के सदस्य**

| क्रमांक | सदस्यों का नाम                | मोबाइल नम्बर | सदस्यों के हस्ताक्षर  |
|---------|-------------------------------|--------------|---|
| 1       | श्रीमती किरन दीक्षित          | 7905833175   | <br>08/02/19 |
| 2       | श्रीमती रंजीता कुमारी पाण्डेय | 9131950710   | <br>08/02/19 |
| 3       | श्री शिवराज मिश्रा            | 9926399372   | <br>08/02/19 |

  
प्राचार्य  
Headmaster

D.A.V. Public School,  
Surya Vihar, P.O. - Tiyara  
Distt. Singrauli (M.P.)